नई हिंदी पुस्तकें आवरण पृष्ठ और सारांश के साथ(वर्ष 2024)

TAXMANN®
Tax & Corporate Laws of INDIA

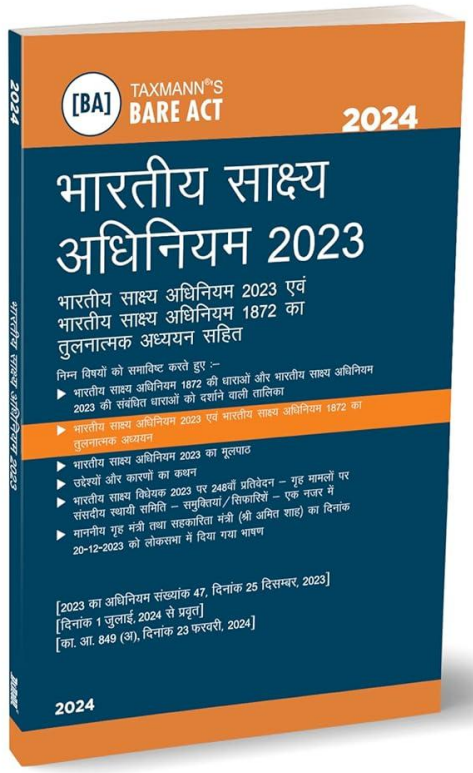

(परिग्रहण संख्या-H12740)

सारांश - यह विस्तृत कानूनी स्रोत भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 पर केंद्रित है और इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के साथ विस्तृत तुलना दी गई है। अपनी नवीन विशेषताओं के लिए उल्लेखनीय, इस पुस्तक में तालिका, तुलना के लिए एक अनुभाग, एक विषय-सूची और एक तुलनात्मक अध्ययन शामिल है, जिससे नए कानून को उसके ऐतिहासिक समकक्ष के साथ समझना और तुलना करना आसान हो जाता है। यह न्यायपालिका , कानूनी पेशेवरों, प्रशासन एजेंसियों, सरकारी निकायों, छात्रों और आम जनता के लिए एक अमूल्य उपकरण है ।

यह प्रकाशन 2023 के अधिनियम संख्यांक 47, दिनांक 25 दिसम्बर, 2023 | दिनांक 1 जुलाई, 2024 से प्रवृत [का. आ. 849 (अ), दिनांक 23 फरवरी, 2024], के अनुसार 2024 संस्करण है। इसे टैक्समैन की संपादकीय मंडल द्वारा लिखा/संपादित किया गया है , और यह निम्नलिखित पर व्यापक कवरेज प्रदान करता है:

- निम्नलिखित के लिए [धारा-वार तालिकाएं]:
  o भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धाराएं और उनके संबंधित भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धाराएं | पुराने कानून बनाम नए कानून
  o भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की नयी धाराएं
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के लिए [विषय-सूची]
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का [तुलनात्मक अध्ययन]
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का पाठ
- [अन्य विशेषताएँ] शामिल हैं:
  o उद्देश्यों और कारणों का कथन
  o खंडो पर टिप्पणी
  o भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 पर 248वां प्रतिवेदन - गृह मामलों पर संसदीय स्थायी समिति - समुक्तियाँ/सिफारिशें - एक नजर में
  o माननीय गृहमंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) का दिनांक 20-12-2023 को लोकसभा में दिया गया भाषण

TAXMANN®
Tax & Corporate Laws of INDIA

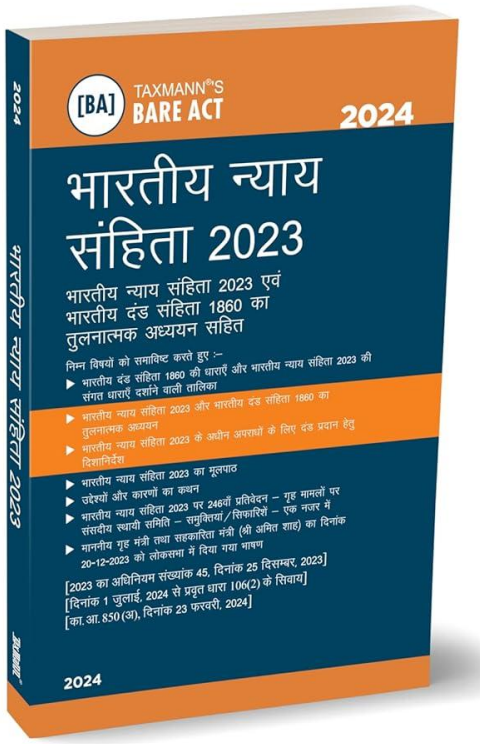

(परिग्रहण संख्या-H12739)

सारांश - यह व्यापक कानूनी संसाधन भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 पर केंद्रित है , जो भारतीय दंड संहिता 1860 के साथ विस्तृत तुलना और अपराधों के लिए दंड का मार्गदर्शन प्रदान करता है। अपनी नवीन विशेषताओं के लिए उल्लेखनीय , इस पुस्तक में तालिका, तुलना के लिए एक अनुभाग, और एक तुलनात्मक अध्ययन शामिल है , जिससे नए कानून को उसके ऐतिहासिक समकक्ष के साथ समझना और तुलना करना आसान हो जाता है। यह न्यायपालिका , कानूनी पेशेवरों, प्रवर्तन एजेंसियों, सरकारी निकायों, छात्रों और आम जनता के लिए एक अमूल्य उपकरण है ।

यह प्रकाशन 2023 के अधिनियम संख्यांक 45, दिनांक 25 दिसम्बर, 2023 | दिनांक 1 जुलाई, 2024 से प्रवृत, धारा 106(2) के सिवाय, [का. आ. 850 (अ), दिनांक 23 फरवरी, 2024], के अनुसार 2024 संस्करण है । इसे टैक्समैन की संपादकीय मंडल द्वारा लिखा/संपादित किया गया है , और यह निम्नलिखित पर व्यापक कवरेज प्रदान करता है:

- निम्नलिखित के लिए [धारावार तालिका]:
  - o भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराएँ और भारतीय न्याय संहिता 2023 की संगत धाराएँ | पुराना कानून बनाम नया कानून
  - o भारतीय न्याय संहिता 2023 की नई धाराएँ
- भारतीय न्याय संहिता 2023 के लिए [विषय-सूची]
- भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय दंड संहिता 1860 का [तुलनात्मक अध्ययन]
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अधीन अपराधों के लिए लये दंड प्रदान हेतु दिशानिर्देश
- भारतीय न्याय संहिता 2023 का पाठ
- [अन्य विशेषताएँ] में शामिल हैं:
  - o उद्देश्यों और कारणों का कथन
  - o खंडो पर टिप्पणी
  - o भारतीय न्याय संहिता, 2023 पर 246वां प्रतिवेदन - गृह मामलों पर संसदीय स्थायी समिति – समुक्तियाँ/सिफारिशें - एक नजर में
  - o माननीय गृहमंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) का दिनांक 20-12-2023 को लोकसभा में दिया गया भाषण

TAXMANN®
Tax & Corporate Laws of INDIA

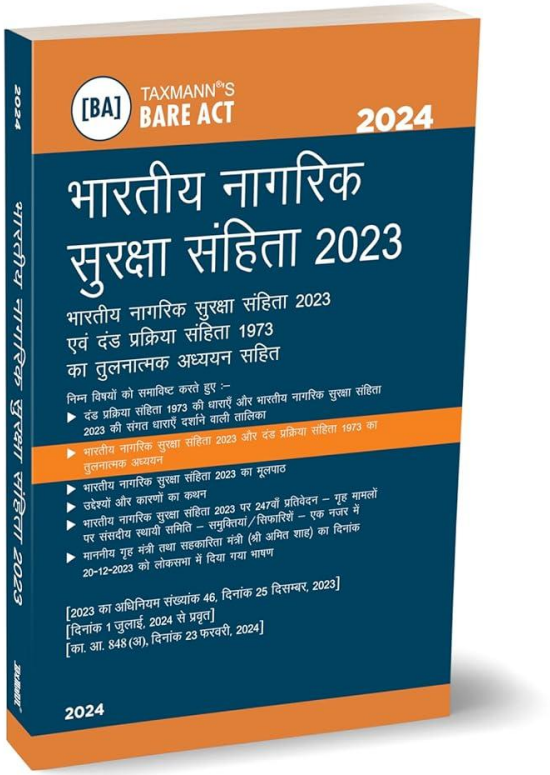

(परिग्रहण संख्या-H12738)

सारांश - यह पुस्तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 पर एक व्यापक कानूनी स्रोत है, जो की नागरिक संहिता प्रक्रिया संहिता 1973 के एक विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन के साथ प्रस्तुत करता है। अपनी नवीन विशेषताओं के लिए उल्लेखनीय, इस पुस्तक में तालिका, तुलना के लिए एक अनुभाग, एक विषय-सूची और एक तुलनात्मक अध्ययन शामिल है , जिससे नए कानून को उसके ऐतिहासिक समकक्ष के साथ समझना और तुलना करना आसान हो जाता है। यह न्यायपालिका, कानूनी पेशेवरों, प्रवर्तन एजेंसियों, सरकारी निकायों, छात्रों और आम जनता के लिए एक अमूल्य उपकरण है।

यह प्रकाशन 2023 के अधिनियम संख्यांक 46, दिनांक 25 दिसम्बर, 2023 | दिनांक 1 जुलाई, 2024 से प्रवृत, [का. आ. 848 (अ), दिनांक 23 फरवरी, 2024], के अनुसार 2024 संस्करण है। इसे टैक्समैन के संपादकीय बोर्ड द्वारा लिखा/संपादित किया गया है , और यह निम्नलिखित पर व्यापक कवरेज प्रदान करता है:

- निम्नलिखित के लिए [धारा-वार तालिका]:
  o भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धाराओं और उनके सम्बंधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धाराओं के साथ | पुराना कानून बनाम नया कानून
  o भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की नई धाराएँ
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के लिए [विषय-सूची]
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 का [तुलनात्मक अध्ययन]
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का पाठ
- [अन्य विशेषताएँ] इसमें शामिल हैं:
  o उद्देश्यों और कारणों का कथन
  o खंडो पर टिप्पणी
  o भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 पर 247वां प्रतिवेदन - गृह मामलों पर संसदीय स्थायी समिति - समुक्तियाँ/सिफारिशें - एक नजर में
  o माननीय गृहमंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) का दिनांक 20-12-2023 को लोकसभा में दिया गया भाषण

झारखंड की लोककथाएँ

डॉ. मयंक मुरारी

प्रभात

(परिग्रहण संख्या-H12735)

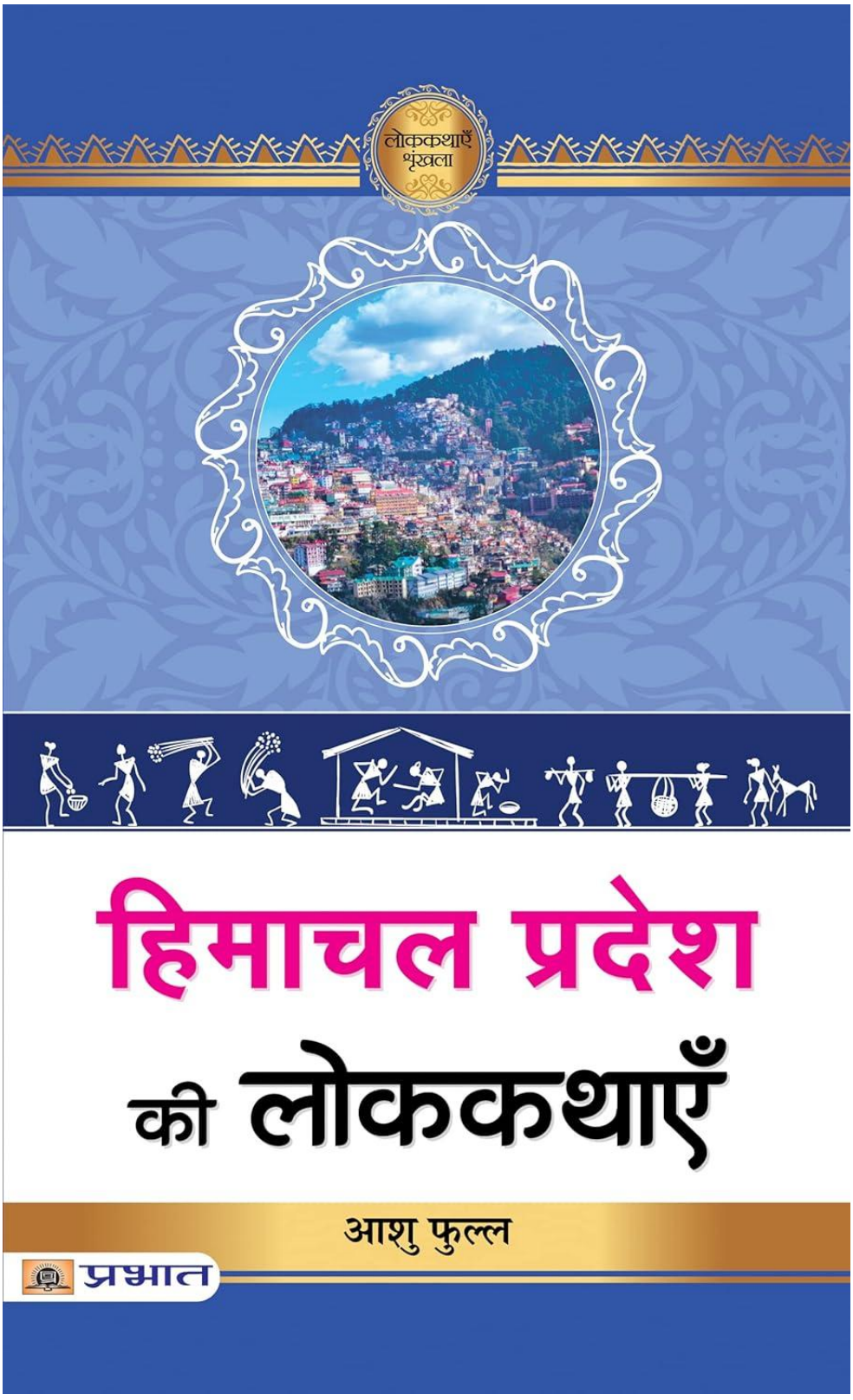

(परिग्रहण संख्या-H12734)

सारांश - समय के निकष पर पककर लोकविश्वास , किंवदंतियाँ, लोकाचार, धार्मिक एवं सामाजिक मानयताएँ लोककथाओं का निर्माण करती हैं। इनका निर्माण या सृजन स्थापित होने में शताब्दियाँ लग जाती हैं , क्योंकि हर वक्ता या हर काथू का कथावाचक कुछ-न-कुछ अपना जोड़ता जाहा है और अंततः मौखिक यात्रा पर निकलीलोककथा कुंदन बन जाती है। धार्मिक विश्वासों में देवी-देवताओं का आशीर्वाद , धार्मिक स्थलों के प्रति अगाध श्रद्धा बोलियों की विविधता की लोककथाओं को विशिष्ट बना देती है। लोककथाओं में घर-परिवार , गाँव एवं समाज का संश्लिष्ट चित्रण तो आकर्षण उत्पन्न करता ही है, परंतु साथ ही पर्वतीय प्रदेश की बोली तसवीर प्रस्तुत करने में भी सहायक सिद्ध होती है। हिमाचल की लोककथाओं का अपना आस्वाद है। मनुष्य के सभी प्रकार के हाव-भाव इन लोककथाओं में रोचक, सार्थक एवं व्यवहारिक पक्ष में साकार हो उठते हैं। ये लोककथाएँ हर आयुवर्ग के पाठकों को गुदगुदाएँगी और सांकेतिक रूप के जीवन को उपयोगी ढंग से जीनेएवं ढालने में सहायक होगी, इसमें संदेह नहीं।

लोककथाएँ शृंखला

आंध्र प्रदेश की लोककथाएँ

सं. एस. शेषारत्नम्

प्रभात

(परिग्रहण संख्या-H12733)

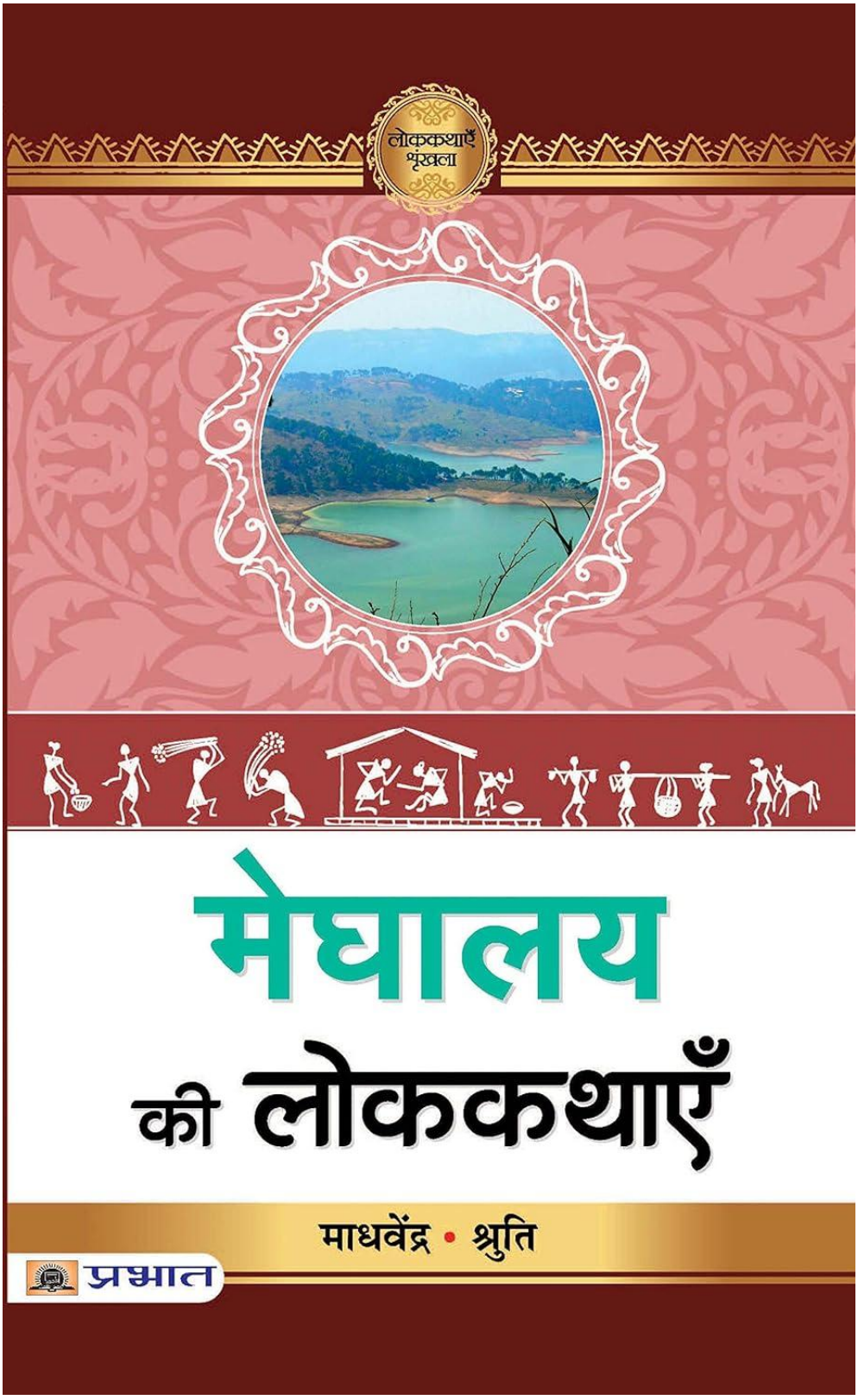

(परिग्रहण संख्या-H12732)

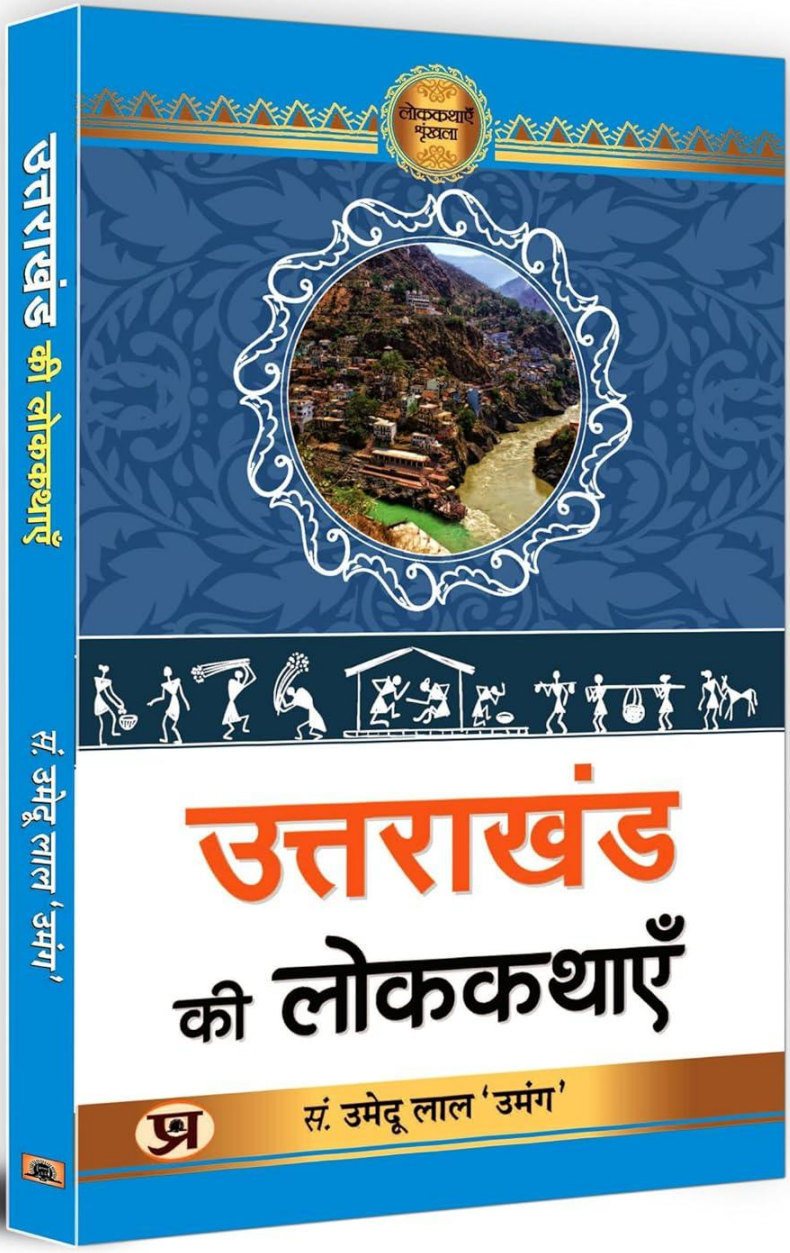

(परिग्रहण संख्या-H12731)

सारांश - भारत का समूचा इतिहास वाचिक और श्रवण-परंपरा में निहित है। वेदों कोअपौरुषेय माना गया है । युगों-युगों से हमारे देशमें लेखन की परंपरा न के बराबर थी । वक्ता और श्रोता के माध्यम से ज्ञान का संप्रेषण होता था। बहुत बाद में मौखिक रूप से आत्मसात् किएवेद/पुराण/उपनिषद् आदि के ज्ञान को भोजपत्रोंपर उकेरा गया।

कहने का तात्पर्य यह कि चाहे काव्य विधा हो अथवा उसके बाद विकसित कथा या कहानी-परंपरा, लोक में अपने पूर्वजों अथवा पहली पीढ़ी से ग्रहण करके दूसरी पीढ़ी ने ज्ञान की इस विरासत को कथा-कहानी के माध्यम से ही आगे बढ़ाया , जिसे दृष्टांत ,किंवदंती अथवा लोक आख्यान का नाम दियागया।इस संग्रह में कुल पैंतीस लोककथाएँ हैं,जिनकी भावभूमि देहाती जीवन के मनोविकार, आदमी की सोच, उसकी जीवनचर्या तथा भावोंव विचारों के संघर्ष को प्रतिध्वनित कराती हैं ।

इन कहानियों में हिमालयी क्षेत्र के सुरम्य, शांतव मनोरम प्राकृतिक वातावरण के साथ पहाड़ के आदर्श माने जाने वाले जीवन-मूल्यों का भीसमावेश है । देवभूमि उत्तराखंड के लोक-जीवन की झलक दिखातीं और लोक-परंपराओं वमान्यताओं का दिग्दर्शन करवाती ये लोककथाएँ पाठकों को वहाँ के जनजीवन से परिचित करवाएँगी।

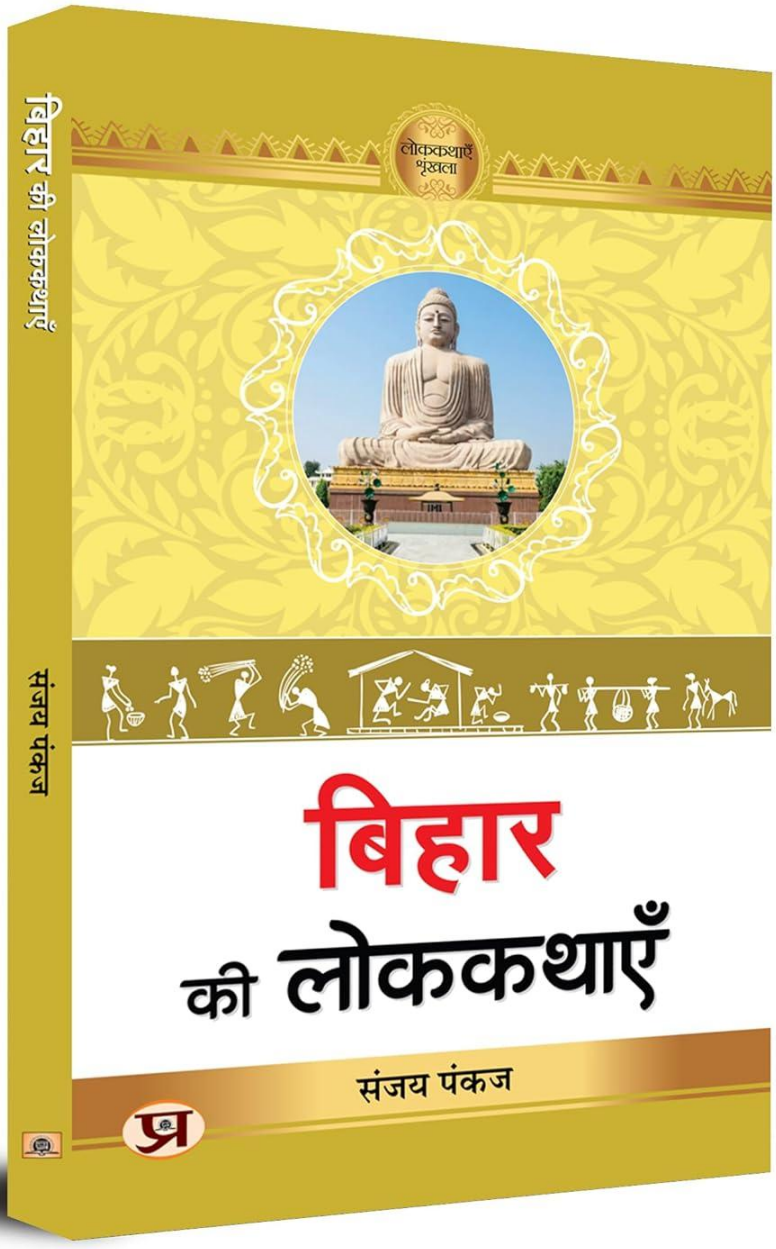

(परिग्रहण संख्या-H12730)

सारांश - ज्ञान-विज्ञान और संस्कार संस्कृति के क्षेत्र में

सभ्यता के विकास - काल से ही बिहार अग्रणी रहा है। राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक संकट और संक्रमण के दौर में भी बिहार ने दिशा और दृष्टि दी है। साहित्य, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म

से संपन्न बिहार का वैभव विज्ञान और राजनीति में भी रहा है। विश्व को लोकतंत्र का मार्ग दिखाने वाला बिहार ही शून्य का ज्ञाता और प्रदाता है। अपने प्राचीन और समृद्ध विश्वविद्यालयों के माध्यम से संसार की मनीषा का केंद्र बना बिहार विश्वविभूतियों को अपनी मूल संपदा से सम्मोहित करता रहा है। साक्षात् धरती का अवतरण जगज्जननी सीता में देखते और समझते हैं ।

बिहार का लोक- अंचल गीत , संगीत, नृत्य, उल्लास और पर्व-त्योहारों से भरा हुआ है । जाड़े में अलाव तापते हुए तो गरमी में बतकही करते हुए लोककथाएँ कहने की परंपरा यहाँ आज भी जीवित है। दादी-नानी की कथा - कहानियाँ आज भी प्रचलन में हैं। ग्रामीण अंचल के आमजन की स्मृतियों में लोक-कथाओं का समृद्ध भंडार है। बिहार की लोककथाएँ पारिवारिकता , सामाजिकता और संस्कृति-सद्भाव से भरी हुई हैं।

लोक-परंपरा के आलोक से भरी इस पुस्तक की लोककथाएँ जीवन संजीवनी , मानवीय संवेदना, प्रकृति-प्रियता तथा सांस्कृतिक विरासत को सँभालकर मन को शांत और स्वस्थ बनाएँगी , ऐसा विश्वास है। बिहार की लोककथाएँ कला, कल्पना और अनुभूति का प्रेमिल राग है, जिन्हें पढ़ते हुए पाठक स्पंदित, उद्वेलित और आनंदित होंगे।

(मुकेश कुमार, पुस्तकालय एवं सूचना सहायक द्वारा संकलित और तैयार किया गया)